

PC-VI/2011

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

17/2011

दिनांक

4/1/2011

संख्या:- 32-E/o/Allowance

RBE No. 17/2011

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर .....  
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर  
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर  
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर  
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर  
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर  
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर  
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर  
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर  
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f.

1-1-2010 and 1-7-2010 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale.

संदर्भ :- Railway Board letter No. PC-V/2009/A/DA/1

dt. 03/2/2011

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 3/2/2011 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।


सलंगन- यथोक्त।

(आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- |     |                               |              |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 7.  | महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू       | 15 प्रतियाँ। |
| 8.  | महासचिव- यूपीआरएमएस           | 15 प्रतियाँ। |
| 9.  | महासचिव- एससी/एसटी एसो.       | 15 प्रतियाँ। |
| 10. | महासचिव- ओबीसी एसो.           | 05 प्रतियाँ। |
| 11. | महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |



GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय  
(Railway Board/ रेलवे बोर्ड)

S.No. PC-VI/247  
No. PC-V/2009/A/DA/1

RBE No. 17 /2011  
New Delhi, dated 03 -02-2011


The General Managers/ CAO(R),  
All Zonal Railways & PUs  
(As per standard mailing list)

Sub: - Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1-1-2010 and 1-7-2010 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale.

In continuation of Ministry of Railway's letter of even Number dated 30-10-2009, (PC-VI/156, RBE No.195/2009) revising rates of Dearness Allowance w.e.f. 01-07-2009 in respect of Railway Servants who continue to draw their pay and emoluments in the pre-revised scales of pay (5th CPC Scale), the rates of Dearness Allowance admissible to these category of employees shall be enhanced from the existing 73% to 87% w.e.f. 1-1-2010 and 87% to 103% w.e.f. 1-7-2010. All other conditions as laid down in the Board's letter dated 17-11-2008 (RBE No.179/2008) will continue to apply.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Hindi version is enclosed

[Authority: MoF's OM No(s).1 (3)/2008-EII (B), dated 31-03-2010 & 29-09-2010]

  
(N.P. Singh)

Dy. Director, Pay Commission - V  
Railway Board

No. PC-V/2009/A/DA/1

New Delhi dated. 03-02-2011

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

  
for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/247  
सं. पीसी-V/2009/ए/डीए/1

आरबीई सं. 17/2011  
नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2011


महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),  
सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधन पूर्व वेतनमान में अपना वेतन ले रहे रेलवे कर्मचारियों पर 01.01.2010  
तथा 01.07.2010 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

रेल मंत्रालय के दिनांक 30.10.2009 के समसंख्यक पत्र (पीसी-VI/156, आरबीई सं. 195/2009) जिसमें उन रेलवे कर्मचारियों जो वेतन के संशोधन पूर्व के वेतनमानों (पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान) में अपना वेतन तथा परिलब्धियां ले रहे हैं, के संबंध में 01.07.2009 में महंगाई भत्ते की दरें संशोधित की गई हैं, के क्रम में इन कोटियों के कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें 01.01.2010 से मौजूदा 73% से बढ़ाकर 87% तथा 01.07.2010 से मौजूदा 87% से बढ़ाकर 103% कर दी जाएंगी। बोर्ड के दिनांक 17.11.2008 के पत्र (आरबीई सं. 179/2008) में यथा निर्धारित अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

[प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 31.03.2010 तथा 29.09.2010 का कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई-11 (बी)]



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड